संख्या-9/2024/I/521655/2024/001-38-2002-2-2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद-01 वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-920/प्रशि0/बजट आवंटन-4(II)/2023-24, दिनांक 19 जनवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-994/प्रशि0/बजट आवंटन-4(II)/2023-24, दिनांक 20 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास संस्थान-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के मानक मद-01 वेतन मद में हो रही बचत धनराशि के पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास संस्थान-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के मानक मद-01 वेतन मद में हो रही बचत से इसी लेखाशीर्षक के विभिन्न मानक मदों में धनराशि रू0 181.03 लाख के पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्यसरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)) के निम्नवत विभिन्न मानक मदों के नामें डाला जायेगा :-

क्र0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	05 स्थानांतरण यात्रा व्यय	21,19,000 (रूपये इक्कीस लाख उन्नीस हजार मात्र)
2	013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रूपये सात लाख मात्र)
3	013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,34,000 (रूपये सात लाख चौतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	49 चिकित्सा व्यय	45,50,000 (रूपये पैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)
5	013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान))	58 आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र)
कुल				1,81,03,000 (रूपये एक करोड़ इक्यासी लाख तीन हजार मात्र)

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2024/1/521655/2024/001-38-2002-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3

8- ग्राम्य विकास अनु0-3 ।

9- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20232024-S 27.38 2.2024

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/ जिला ग्राम विकास संस्थान))	01 (वेतन)	53,25,00,000 रुपये तिरपन करोड़ पच्चीस लाख मात्र	2,30,76,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र	2,30,76,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र ₹ 2,30,76,000	1810,3000	51439700 -	2023-2024
कुल								

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/ जिला ग्राम विकास संस्थान))	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	1,46,13,000 रुपये एक करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र	10000000 -	12500000 -	2023-2024
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/	49 (चिकित्सा व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	45,50,000 रुपये पैंतालीस लाख पचास हजार मात्र	4550000	8650000	2023-2024

...eoF8pi?v=n9z.IlpvAUa70o8pkn8dmZ4pmY9J9HDRDsO3TKAzrFTu9UjjCfqxevbosOpdif1ml7xEl"cTDME#no-back-bu...

	जिला ग्राम विकास संस्थान))						
013	25150000303000 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/ जिला ग्राम विकास संस्थान))	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	7,34,000 रुपये सात लाख चौंतीस हजार मात्र	734000 -	1234000 -	2023-2024
013	25150000303000 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/ जिला ग्राम विकास संस्थान))	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	10,60,000 रुपये दस लाख साठ हजार मात्र	700600 -	1400000 -	2023-2024
013	25150000303000 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/ जिला ग्राम विकास संस्थान))	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	21,19,000 रुपये इक्कीस लाख उन्नीस हजार मात्र	2119000 -	2319000 -	2023-2024
कुल				₹ 2,30.76,000			

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में कई कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त पद रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानक मद 01-वेतन में लगभग धनराशि रू0 2000.00 (रू0 बीस करोड मात्र) बचत होने की संभावना है।

2- क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में वर्ष 2023-24 में मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, मानक मद 15-गाड़ियों को अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, मानक मद 16-व्यावसायिक विशेष सेवाओं हेतु भुगतान, मानक मद 49-चिकित्सा व्यय, मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिए पर्याप्त बजट व्यवस्था न होने के कारण कुल धनराशि रू0 230.76 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आई.ई.सं0-बजट-1-522 01.03.2024

संख्या: -2023-24, दिनांक- फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज

(प्रहलाद बरनवाल)
संयुक्त सचिव

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 29-02-2024 16:35:31
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।